

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2622941, 2627021,
फैक्स: 0522-4331202
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 7666/2315/आ०ब०-9/सिस्टम-ओ.टी.एस./2021-22 लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 2021
प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र० शासन।

अनुस्मारक-2

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: वन टाईम सेटेलमेन्ट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के संचालन के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-478/आठ-1-20-01विविध/2000टी.सी.-2 दिनांक 19.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आवास बन्धु से डी.ए.वी.पी. दर पर विभिन्न तिथियों में अंग्रेजी एवं हिन्दी के मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, कानपुर एवं बरेली विकास प्राधिकरण से निर्धारित अनुपात में आवास बन्धु को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के अनुपालन में पूर्व में भेजे गये पत्रों, आवास बन्धु कार्यालय के पत्र संख्या: 7059/2315/आ०ब०-9/सिस्टम-ओ.टी.एस./2020-21 लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2021, अनुस्मारक पत्र संख्या: 7182/2315/आ०ब०-9/सिस्टम-ओ.टी.एस./2020-21 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2021 तथा अनुस्मारक-1 पत्र संख्या: 7376/2315/आ०ब०-9/सिस्टम-ओ.टी.एस./2021-22 लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति धनराशि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु आपके अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति धनराशि अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अभिकरण से सम्बन्धित पूर्तिपूर्ति की अनुपातित धनराशि रू० 4,12,168.00 मात्र को "उ.प्र. आवास बन्धु" के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नगर महापालिका ब्रांच, लालबाग, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-10038042579 IFSC Code-SBIN0004619 में RTGS के माध्यम से अथवा डी.डी. के माध्यम से आवास बन्धु कार्यालय को दिनांक 25.12.2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.।
2. अधिशासी निदेशक, (आवास बन्धु)/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

(रवि जैन)
निदेशक